न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2020/00064 **दायरा दिनांक : 27.07.2020**

उनवान

1– मदनलाल आत्मज माधो जी जाति मेघवाल
2– प्रभूलाल आत्मज माधो जी जाति मेघवाल
मृतक जर्ये कायम मुकामान –
2/1– घासीलाल आत्मज प्रभूलाल
2/2– चन्द्र मोहन आत्मज प्रभूलाल
3– रामपाल आत्मज माधो जी जाति मेघवाल मृतक जर्ये कायम मुकामान–
3/1– मांगीलाल आत्मज रामपाल जी
3/2– प्रमोद आत्मज रामपाल जी
3/3– मोत्याबाई पत्नी रामपाल जी
4– गोपी लाल आत्मज माधो जी, जाति मेघवाल,
निवासीगण ग्राम देल्याहेडी, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– श्यामलाल आत्मज हीरालाल, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम देल्याहेडी, तहसील अन्ता, जिला बारां
2– गणेशीबाई पुत्री हीरालाल पत्नी रामकरण जी, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम ढाहरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2020/00065 **दायरा दिनांक : 27.07.2020**

उनवान

1– मदनलाल आत्मज माधो जी जाति मेघवाल
2– प्रभूलाल आत्मज माधो जी जाति मेघवाल
मृतक जर्ये कायम मुकामान –
2/1– घासीलाल आत्मज प्रभूलाल
2/2– चन्द्र मोहन आत्मज प्रभूलाल
3– रामपाल आत्मज माधो जी जाति मेघवाल मृतक जर्ये कायम मुकामान–
3/1– मांगीलाल आत्मज रामपाल जी
3/2– प्रमोद आत्मज रामपाल जी
3/3– मोत्याबाई पत्नी रामपाल जी
4– गोपी लाल आत्मज माधो जी, जाति मेघवाल,
निवासीगण ग्राम देल्याहेडी, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– श्यामलाल आत्मज हीरालाल, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम देल्याहेडी, तहसील अन्ता, जिला बारां
2– गणेशीबाई पुत्री हीरालाल पत्नी रामकरण जी, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम ढाहरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता

..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित ।

निर्णय **दिनांक : 27.10.2023**

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1— ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

2 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या – 463/2010 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.07.2014 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.09.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

3 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि वाके माल देल्याहेडी, तहसील अन्ता में खाता संख्या 65 में भूमि खसरा नम्बर 219 रकबा 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 220 रकबा 0.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.97 हेक्टर, खसरा नम्बर 236/491 रकबा 0.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 261 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 263 रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 278 रकबा 0.83 हेक्टर, खसरा नम्बर 279 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 280 रकबा 0.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 453 रकबा 0.56 हेक्टर, खसरा नम्बर 454 रकबा 0.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 455 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 456 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 457 रकबा 1.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 458 रकबा 1.46 हेक्टर, खसरा नम्बर 466 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.40 हेक्टर किता 18 रकबा 8.24 हेक्टर वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 ता 4 के शामलाती खाते में हिस्सा दर्ज है। उक्त भूमि को वाद में विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.07.2014 से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाके माल देल्याहेडी, तहसील अन्ता में खाता संख्या 65 में भूमि खसरा नम्बर 219 रकबा 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 220 रकबा 0.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.97 हेक्टर, खसरा नम्बर 236/491 रकबा 0.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 261 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 263 रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 278 रकबा 0.83 हेक्टर, खसरा नम्बर 279 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 280 रकबा 0.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 453 रकबा 0.56 हेक्टर, खसरा नम्बर 454 रकबा 0.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 455 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 456 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 457 रकबा 1.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 458 रकबा 1.46 हेक्टर, खसरा नम्बर 466 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.40 हेक्टर किता 18 रकबा 8.24 हेक्टर भूमि का विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार अन्ता को अहकाम जारी हो। यदि पक्षकारान सहमत हो तो हिस्से अनुसार, नही तो अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी यदि आवश्यक हो तो धौरा व रास्ता लाल स्याही से दर्शाते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 10.09.2014 से पूर्व भिजवाये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 10.09.2014 वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम देल्याहेडी में वादीगण श्यामलाल पुत्र हीरा व गणेशी पुत्री हीरा का हिस्सा निम्नानुसार है –

खसरा नम्बर	रकबा	दिशा
219	0.08	दक्षिणी
220	0.18	दक्षिणी
223	0.12	दक्षिणी
236	0.32	उत्तरी
236/491	0.13	उत्तरी
261	0.05	उत्तरी
263	0.06	पूर्वी
278	0.31	दक्षिणी
280	0.15	उत्तरी
453	0.18	उत्तरी
454	0.11	दक्षिणी
455	0.02	दक्षिणी
457	0.38	उत्तरी
458	0.48	दक्षिणी
466	0.01	उत्तरी
473	0.13	पूर्वी
किता– 16	कुल रकबा 2.71 हे0	-

4 उक्त खाते में कुएं के ख0नं0 279 रकबा 0.01 हेक्टर किस्म गै०मु० तथा 456 रकबा 0.07 है० किस्म गैर0 मु0 चाह शामिल खातेदारान के नाम प्रभूलाल, रामपाल, मदनलाल पुत्र माधोलाल हिस्सा 1/4 बरा0 श्यामलाल पुत्र हीरा, गणेश पुत्री हीरा हिस्सा 1/3, गोपी लाल पुत्र माधो हिस्सा 5/12 कोम सा० देह यथावत दर्ज रहेगे। तहसीलदार अन्ता द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव ग्राम देल्याहेडी की आराजी का अवलोकन किया। वादीगण विभाजन प्रस्ताव से सहमत

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
अपील प्राधिकारी, कोटा

होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अन्ता को आदेशित किया जाता है कि ग्राम देल्याहेडी की आराजी में वादीगण का हिस्सा विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

5 इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 00064/2020 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टान को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री कर दिया, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के अनुसार तनकीयात कायम किये बिना ही रेस्पोडेन्ट का वाद डिकी कर दिया, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवाईज फैसला नहीं कर विधि के प्रावधानों के विपरीत आदेश एवं डिकी प्रदान करने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि वाद पत्र में वर्णित सजरानुसार केसरा के पुत्र बलास को पक्षकार नहीं बनाया जो कि आवश्यक पक्षकार है बलास को पक्षकार बनाये बिना ही वाद डिकी कर दिया साथ ही अपीलान्ट द्वारा जवाब दावे में आपत्ति ली गयी कि रेस्पोडेन्ट का आराजी पर कब्जा नहीं है और बिना कब्जे की सहायता के ही वाद डिकी कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार एवं तथ्य के रेस्पोडेन्ट का वाद डिकी कर दिया जो त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिकी निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत बाद सव्यय खारिज फरमाया जाये।

6 इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 00065/2020 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटान को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद को डिकी कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम देल्याहेडी स्थित आराजी के संबंध में लगभग 30–40 वर्ष पूर्व से ही मौखिक बंटवारा हो रहा है और मौखिक बंटवारा अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। अपीलांट द्वारा बंटवारे में प्राप्त आराजी पर काफी मेहनत एवं पैसा लगाकर उन्नत एवं उपजाऊ बना रखा है तथा पृथक से सिंचाई का साधन बना रखा है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेंट का ही बंटवारा किया गया। अपीलांट की आराजी का कोई बंटवारा नहीं किया गया और अपीलांट के कब्जे काश्त वाली आराजी रेस्पोडेंट को बंटवारे में दे दी जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना जानकारी एवं सूचना के एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अपीलांट की ओर से प्रभूलाल आत्मज माधो जी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होते रहे हैं जिनकी मृत्यु 5 वर्ष पूर्व ही हो चुकी है। उक्त प्रकरण को सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रभूलाल जी की रही है जिनके द्वारा अपीलांट को कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो बंटवारा की रिपोर्ट पर अपीलांटान को सुना गया और न ही बंटवारा अपीलांट की जानकारी व उपस्थिति में तैयार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 18 से 21 की पालना किये बिना ही आदेश एवं डिकी प्रदान कर दी जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि बंटवारा रिपोर्ट में सभी खेतों का असमान रूप से बंटवारा किया गया है जिससे विवाद की समस्या पैदा हो गयी है। छोटे छोटे टुकडे सभी खेतों के कर दिये जो त्रुटिपूर्ण है जिससे हमेशा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के मध्य विवाद की स्थिति पैदा हो गयी है। इस कारण आदेश एवं डिकी निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिकी निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे।

7 दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 09.07.2020 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

8 दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

9 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते एवं अपने पक्ष के समर्थन में निम्न नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

1– आर. आर. टी. 2017 (1) पेज 610
2– आर. आर. टी. 2017 (1) पेज 689
3– आर. आर. टी. 2017 (1) पेज 221
4– आर. आर. टी. 2022 (1) पेज 135

10 हमने अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेंदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

11 बहस अभिभाषक अपीलांट एकपक्षीय सुनी गई। प्रस्तुत अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.07.2014 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 10.09.2014 से अप्रसन्न होकर कमशः अपील संख्या 00064/2020 व अपील संख्या 00065/2020 प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया। अपीलांट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने जवाबदावे के अनुसार तनकीयात कायम नहीं की और ना ही तनकीवार फैसला किया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व प्राथमिक डिक्री विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि वाद पत्र में वर्णित सजरानुसार केसरा के पुत्र बलास को पक्षकार नहीं बनाया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेंट का ही बंटवारा किया गया, अपीलांट की आराजी का कोई बंटवारा नहीं किया गया और अपीलांट के कब्जे काश्त वाली आराजी रेस्पोडेंट को बंटवारे में दे दी जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अपीलांट को बिना जानकारी एवं सूचना के एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि बंटवारा रिपोर्ट में सभी खेतों का असमान रूप से बंटवारा किया गया है जिससे विवाद की समस्या पैदा हो गयी है। छोटे–छोटे टुकड़े सभी खेतों के कर दिये जो त्रुटिपूर्ण है, जिससे हमेशा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के मध्य विवाद की स्थिति पैदा हो गयी है, इस कारण आदेश एवं प्राथमिक डिक्री निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो बंटवारा रिपोर्ट पर अपीलांट को सुना गया और न ही बंटवारा प्रस्ताव अपीलांट की उपस्थिति में तैयार किया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 18 से 21 की पालना किये बिना ही पारित किया गया आदेश व डिक्री त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.07.2014 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 10.09.2014 निरस्त फरमाया जाए।

12 अपीलांट के उक्त कथन के कम में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादी रेस्पोडेंट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया है कि वादग्रस्त शामलाती खाते की आराजी का बंटवारा वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य किया जाकर 1/3 हिस्सा पृथक से वादीगण के नाम अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी दर्ज किया जावे, पृथक से खसरा नम्बर व लगान कायम किया जाकर नक्शें में अंकन किया जावे तथा प्रतिवादीगण से कब्जा दिलवाया जावे।

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

13 वादी रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद में प्रतिवादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार दिनांक 28.01.2013 को जवाब पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 22.05.2013 के अनुसार तनकीयात कायम की गई परन्तु पत्रावली में तनकीयात सलंग्न नहीं है और ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित किया गया। दिनांक 22.05.2013 की आदेशिका के पश्चात लगातार आठ तारीख पेशी पर पीठासीन अधिकारी अवकाश या राजकार्य में व्यस्त की सील अंकित है तत्पश्चात पत्रावली की आदेशिका दिनांक 06.06.2014 के अनुसार वादी वकील उपस्थित, प्रतिवादी 1 ता 4 उपस्थित नहीं हुए यह अंकित करते हुए न्यायहित में उपस्थिति हेतु बिना कोई अवसर प्रदान किये प्रतिवादी 1 ता 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई व पत्रावली सीधे साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 26.06.2014 को नियत की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत बंटवारे के वाद में केवल वादीगण का हिस्सा पृथक करते हुए अंतिम डिक्री जारी की गई जिसे विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय को शामलाती खाते की वादग्रस्त भूमि में सभी सहखातेदारों का हिस्सा निर्धारित करते हुए वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य हिस्से अनुसार सम्पूर्ण भूमि का नियमानुसार बंटवारा करते हुए अंतिम डिक्री पारित करनी चाहिए थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल वादी का हिस्सा पृथक कर निर्णय व डिक्री पारित करने में वैधानिक चूक की है। वादग्रस्त आराजी के बंटवारे हेतु प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। विभाजन प्रस्ताव पटवारी द्वारा तैयार किया गया जिस पर तहसीलदार अन्ता द्वारा सी.एस. लिख हस्ताक्षर किये हैं। इस विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। विभाजन प्रस्ताव में केवल वादी का हिस्सा पृथक करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है।

12 उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 00064/2020 एवं 00065/2020 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.07.2014 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.09.2014 अपास्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में तनकीयात कायम कर अपीलांट की साक्ष्य लेखबद्ध करते हुए तनकीवार विधिसम्मत निर्णय पारित कर प्राथमिक डिक्री जारी की जाए। तत्पश्चात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा स्वयं तैयार करवाकर तद्नुसार प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में दिनांक 14.12.2023 को उपस्थित होवे।

13 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/10/2023

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा